न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.
पत्रावली संख्या : 58/25 (विविध प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नम्बर : 2025/200

उनवान

1. मुकेश दत्तक पुत्र नारायण जी जाति कलाल, उम्र वयस्क, निवासी धारता, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज०) ....प्रार्थी

बनाम

1. फतेहसिंह पुत्र शम्भुसिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी सविनाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)
2. विजयसिंह पिता शम्भुसिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी सविनाखेडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)
3. कुस्बा उर्फ पुष्पा पुत्री केला जाति गडरिया (गाडरी), उम्र वयस्क, निवासी नान्दोली खुर्द, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. मोहनीबाई पत्नी केला जाति गडरिया (गाडरी), उम्र वयस्क, निवासी नान्दोली खुर्द, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. पटवारी, पटवार हल्का ढूंढ़िया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) ....विपक्षीगण

उपस्थित 1. श्री रोशनलाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम – 1956
निर्णय

दिनांक :–20.06.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि गांव मौजा नान्दोली खुर्द, पटवार हल्का ढुन्ढीया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 470 रकबा 1.0198 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड में मुझ प्रार्थी के नाम पर स्वतन्त्र रूप से खातेदारी हक से अंकित हैं। उक्त वर्णित मुझ प्रार्थी की खातेदारी की आराजी के पश्चिम दिशा के पड़ौस में विपक्षी संख्या 1. 2 की सहखातेदारी की आराजी नम्बर 469 रकबा 0.9632 हैक्टेयर कृषि भूमि एवं उत्तर दिशा के पड़ौस में विपक्षी संख्या 3, 4 की सहखातेदारी की आराजी नम्बर 468 रकबा 0.6961 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।
2. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि की पश्चिमी उत्तरी दिशा की सीमा पर वर्तमान में अस्थायी रूप से तारबन्दी की हुई हैं जिससे मेरी कृषि भूमि के आसपास घुमने वाले आवारा मवेशी विपक्षी संख्या 1 से 4 के खेतो से होकर मुझ प्रार्थी की कृषि भूमि में घुस जाते है और फसलों को नष्ट कर नुकसान पहुँचाते है एवं मुझ प्रार्थी की कृषि भूमि के पड़ौसी खातेदारान विपक्षी संख्या 1 से 4 से भी इन सीमाओं को लेकर हर समय विवाद होने की सम्भावनाएं बनी रहती हैं। इसलिये मैं प्रार्थी अपनी कृषि भूमि की समुचित सुरक्षा के लिये उक्त वर्णित कृषि भूमि के पश्चिमी उत्तरी दिशा की सीमा पर पक्की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराना चाहता हूँ तथा मेरी कृषि भूमि की पश्चिमी उत्तरी दिशा के खातेदार विपक्षी संख्या 1 से 4 के अलावा पूर्वी दिशा में चित्तौडगढ़ जिला [illegible] भूमि है जिसको लेकर कोई विवाद नही हैं किन्तु विपक्षी संख्या 1 से 4 [illegible] पर [illegible] कराये बाउण्ड्रीवाल हेतु सहमत नही है जिससे मुझ प्रार्थी को मेरी कृषि भूमि के पश्चिमी व उत्तरी दिशा की सीमा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:04 IST
Reason: SelfAttested

पत्थरगढ़ी करा सीमाकंन कराना आवश्यक है ताकि भविष्य में मुझ प्रार्थी की कृषि भूमि की सीमा को लेकर विपक्षी संख्या 1 से 4 से किसी प्रकार का व्यर्थ का विवाद उत्पन्न नही हो।

3. यह कि मुझ प्रार्थी ने अपनी उक्त वर्णित कृषि भूमि की विधिवत रूप से सीमा जानकारी कराये जाने हेतु तहसीलदार सा० मावली के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार सा० द्वारा सीमा जानकारी हेतु पटवारी को निर्देशित किया। तहसीलदार सा० के आदेशानुसार दिनांक 23.04.2025 को पटवारी द्वारा मौके पर पहुँचकर सीमा जानकारी की और मौका पर्चा बनाया गया। किन्तु पटवारी द्वारा की गई सीमा जानकारी से मैं प्रार्थी संतुष्ठ नही हुआ। इसलिये मुझ प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि की पश्चिमी व उत्तरी दिशा की सीमा की पत्थरगढ़ी कराना जरूरी हो गया हैं। इसलिये मुझ प्रार्थी की और से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं।

4. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 23.04. 2025 को उत्पन्न हुआ जब मुझ प्रार्थी ने मेरी भूमि के पश्चिमी व उत्तरी दिशा के पड़ौसी खातेदार विपक्षी संख्या 1 से 4 को मेरी कृषि भूमि की सीमाओं की पत्थरगढ़ी कराने में सहयोग प्रदान करने के लिये कहा तो विपक्षी संख्या 1 से 4 इसके लिये तैयार नही हुए और कोर्ट में दावा कर पत्थरगढ़ी करवाने के लिये कहा। तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

5. अंत में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय का आदेश फरमाया जावें कि उक्त वर्णित मुझ प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि की पश्चिमी व उत्तरी दिशा की सीमा की पत्थरगढ़ी कराई जाकर स्थायी सीमाकंन कराया जावें तथा मुझ प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि पर विपक्षी संख्या 1 से 4 का अवैध कब्जा एवं निर्माण पाया जावें तो मुझ प्रार्थी की कृषि भूमि से विपक्षी संख्या 1 से 4 के खर्चे से इनका अवैध कब्जा एवं निर्माण हटवाया जाकर मेरी कृषि भूमि का कब्जा मुझ प्रार्थी को सुपुर्द किये जाने हेतु आदेशित किया जावें। ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र प्रस्तुत है।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 3 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध भी अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत निवेदन करने से कार्यवाही ड्रोप की गई। विपक्षी संख्या 5, 6 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से राजपैरोकार तहसीलदार द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब का अवसर बंद किया गया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी हक की भूमि है प्रार्थीगण की भूमि का सीमांकन करवाकर पत्थरगड़ी करवाए जाने का आदेश प्रदान कराने का श्रम करावें। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया की प्रार्थी पत्थरगड़ी की आड़ में विपक्षी को कब्जे से बेदखल करना चाहता है।

7. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की [illegible] किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के [illegible] निष्कर्ष पर पहुँचें है कि मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Shivji Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:04 IST
Reason: SelfAttested

नान्दोली खुर्द पटवार हल्का ढुन्ढीया तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 161 पर दर्ज आराजी नम्बर 470 रकबा 1.0198 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम तन्हा खातेदारी अधिकार से दर्ज है। प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थी द्वारा केवल मात्र प्रकरण अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि की पत्थरगडी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है किसी प्रकार की घोषणा नही चाही गई है। उक्त भूमि का सीमाकंन कर पत्थरगडी कर दी जाती है तो प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य सीमा संबंधी विवाद नहीं रहेगा। इसलिये प्रार्थी को अपनी खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी द्वारा अनुतोष में अंकित किया है कि मुझ प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि पर विपक्षी संख्या 1 से 4 का अवैध कब्जा एवं निर्माण पाया जावें तो मुझ प्रार्थी की कृषि भूमि से विपक्षी संख्या 1 से 4 के खर्चे से इनका अवैध कब्जा एवं निर्माण हटवाया जाकर मेरी कृषि भूमि का कब्जा मुझ प्रार्थी को सुपुर्द किये जाने हेतु आदेशित किया जावें। इस संबंध में विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। जिसमें केवल मात्र पत्थरगड़ी करने के आदेश दिए जा सकते है। कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थीगण को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना होगा। जिसके लिए प्रार्थी स्वतंत्र है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

8. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/– रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा नान्दोली खुर्द पटवार हल्का ढुन्ढीया तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 161 पर दर्ज आराजी नम्बर 470 रकबा 1.0198 हैक्टेयर भूमि की उत्तर व पश्चिम दिशा का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी की जावे। पत्थरगड़ी करने से पूर्व प्रार्थीगण, विपक्षीगण एवं उक्त वर्णित भूमि के उत्तर एवं पश्चिम दिशा के पड़ौसी खातेदारो को सूचना पत्र जारी किये जावे। यथासंभव पत्थरगडी प्रार्थीगण, विपक्षीगण एवं उक्त वर्णित भूमि के उत्तर एवं पश्चिम दिशा के पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। साथ ही उभय पक्षो को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में केवल मात्र सीमांकन कर पत्थरगडी की जानी है। यदि उक्त भूमि पर कब्जा विपक्षीगण का पाया जाता है तो इसके लिए प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में कब्जा प्राप्त करने का वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें।

9. तहसीलदार मावली को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

10. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:04 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर